न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री हरिशंकर गोयल

प्रार्थना पत्र संख्या 75/08 तारीख रजू 23.07.08

रामस्वरूप पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी ग्राम पीलौदा तहसील गंगापुर सिटी। – प्रार्थी

बनाम

1.चेयरमेन एडवाइजरी कमेटी जरिए उप जिला कलेक्टर,गंगापुर सिटी।
2.कुन्दन पुत्र धनराज जाति मीना निवासी पीलौदा तहसील गंगापुर सिटी। – अप्रार्थीगण

निर्णय :: दिनांक 11.11.09

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन)नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनाक 1.12.90 को ग्राम पीलौदा की आराजी खसरा नम्बर 3264में से रकबा 0.13 हेक्टर के किये गये भूमि आबंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आबंटन आदेश को निरस्त करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस की गयी तथा आबंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजकीय पेरोकार व अप्रार्थी संख्या 2 जरिए अभिभाषक उपस्थित आए तथा अधीनस्थ न्यायालय की आबंटन संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान् वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि आबंटन सलाहकार समिति द्वारा जिस वक्त आबंटित भूमि का आबंटन किया उस वक्त भूमि खाली नही थी तथा उस पर प्रार्थी का बीज,काश्त करने का सामान ,रिहायशी मकान,पशुओ के चारे रखने का स्थान आदि बने हुए थे तथा उक्त भूमि का साबिक नम्बर 1358 रकबा 10 बिस्वा गैरमुमकिन आबादी में दर्ज था जिसका पट्टा प्रार्थी के मृतक पिता चन्दर के नाम ग्राम पंचायत पीलोदा द्वारा जारी किया गया था तब से ही इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर के नये नम्बी 3264 रकबा 013 हेक्टर बनाये है उक्त भूमि कृषि योग्य नही होकर आबादी भूमि है जिसका आबंटन कृषि प्रयोजनार्थ नही किया जा सकता । आबंटल सलाहकार समिति ने उक्त आबंटन नियमों के विरूद्ध किया है जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान् वकील प्रार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आबंटी को आबंटन के पश्चात् आज तक आबंटित भूमि पर कब्जा नही दिया है और न ही आबंटी ने आबंटन शर्तो के अनुरूप आबंटित भूमि को काश्त ही किया है अतः आबंटन नियमों व शर्तो की पालना न करने के कारण अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आबंटन निरस्तनीय है। विद्वान् वकील प्रार्थी के बहस में तर्क दिया कि आबंटित भूमि 50 वर्ष से किस्म आबादी में दर्ज है जिसका आबंटन कृषि हेतु नही किया जा सकताहै। आबंटन सलाहकार समिति द्वारा आबंटन नियमों के विपरीत आबंटन किया है जो निरस्त होने योग्य है । विद्वान् वकील प्रार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अनियमित रूप व नियम विरूद्ध किये गये आबंटन में खातेदारी आडे नही आती है तथा अनियमित आबंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतः उक्त आबंटन निरस्त होने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में RRD2005 Page 21, RBJ(5)1998Page 398, पर उद्धृत नजीरें प्रस्तुत की है। अप्रार्थी आबंटी के पक्ष में किया गया आबंटन पूर्णतया नियमों के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2के पक्ष में किया गया आबंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया कि आबंटित भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख के अनुसार आबादी भूमि नही है न ही प्रार्थी का उक्त आबंटित भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है और न ही वर्तमान में है। आबंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में आबंटन आबंटन नियमों के अन्तर्गत किया गया है जिसमें कोई अनियमितता नही है तथा आबंटन की दिनांक से अप्रार्थी का अबाध रूप से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है

कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आबंटन नियमों व शर्तो की पूर्णरूपेण पालना की गयी है व अप्रार्थी कों खातेदारी अधिकार भी मिल चुके है। जिन्हे केवल मात्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निरस्त करवाया जा सकता है राजस्थान भू- राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम ,1970 के नियम 14(4) के माध्यम से नही अपने कथन के समर्थन में RBJ(5)2008Page 435 पर उद्धृत नजीरें प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूंटे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जिसमें कोई असलियत नही है तथा निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आबंटन यथावत् रखा जावे।

विद्वान् वकील उभय पक्ष की बहस सुनने तथा आबंटन संबंधी पत्रावली, प्रस्तुत दस्तोवजात व नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अदालत हाजा के समक्ष प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि राजस्व अभिलेख के अनुसार आबंटित भूमि की किस्म आबादी हो,अप्रार्थी द्वारा भूमि का आबंटन, भूमि आबंटन नियमों के अन्तर्गत बने प्रावधानों की पालना किये बगैर या तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो या भूमि आबंटन के पश्चात् आबंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया हो। आबंटी आबंटित भूमि को धारित रखने की पात्रता रखता है क्योंकि प्रार्थी इस तथ्य को प्रमाणित करने में विफल रहे है कि आबंटी द्वारा आबंटित भूमि को आबंटन शर्तो के अनुरूप काश्त नही की है तथा अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा इस संबंध अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर RBJ(5)2008Page 435 में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम सहमत है ।इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा आबंटित भूमि की किस्म आबादी होना व उस पर कब्जा होना व्यक्त किया है जिस कारण से आबंटन निरस्त कराना चाहता है आबंटन की अनियमितताओं बाबत न तो कोई उल्लेख किया है और न ही प्रमाण प्रस्तुत किया है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना –पत्र स्पष्ट मन्तव्य व सद्भावना से प्रस्तुत नही किया है अपितु दुर्भावना से ग्रसित होकर तथा आबंटी को हैरान– परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जिसका कोई औचित्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आबंटन यथावत् रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11,11,.09 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवीलाल आमेरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर